

प्रेस-विज्ञप्ति  
थाना कोतवाली

पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने का प्रयास कर रहे 2 नफर अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुआ कि तरुण इन होटल तिराहा के पास दो व्यक्ति अवैध तमंचा लिए है जो किसी बड़ी घटना को अन्जाम देने हेतु खड़े है। जिसके क्रम में -

दिनांक- 22.11.2020/23.11.2020 की रात थाना कोतवाली पर गठीत पुलिस टीम चर्च चौराहे पर दिवानी कचहरी के पास मौजूद थी कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि सचिन गौड़ व चन्दन मद्धेशिया , अभी कुछ दिन पहले सचिन जेल से छुटा हैं फिर व चन्दन को अपने साथ लेकर कोई वारदात करने की फिराक में तरुण इन होटल तिराहा के सामने गुमटी के पास खड़े है उनके पास नजायज असलहा हैं। सूचना पर विश्वास कर मय पुलिस टीम तथा मुखबीर को साथ लेकर तरुण हो टल के पास पहुचकर एकबारगी द बिश दिया गया तो बदमाश अपने को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागना चाहे कि पुलिस टीम द्वारा दो नफर बदमाशो को अवैध तमंचा व कारतुस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर क्रमशः मु0अ0सं0 324/2020 धारा 307,34 IPC बनाम 1. सचिन गौड़ पुत्र हरिकेश गौड़ साकिन काशीराम आवास कोढिया बस्ती मातबरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष 2. चन्दन मद्धेशिया पुत्र गोपाल मद्धेशिया साकिन राहुल नगर मड़या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष तथा मु0अ0सं0 325/2020 धारा 3/25 A. Act. बनाम 1. सचिन गौड़ पुत्र हरिकेश गौड़ साकिन काशीराम आवास कोढिया बस्ती मातबरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किय जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. सचिन गौड़ पुत्र हरिकेश गौड़ साकिन काशीराम आवास कोढिया बस्ती मातबरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. चन्दन मद्धेशिया पुत्र गोपाल मद्धेशिया साकिन राहुल नगर मड़या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण–

1. एक अदद .315 बोर तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतुस

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 –324/2020 धारा 307,34 IPC थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 325/2020 धारा 3/25 A. Act. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. कमलकान्त वर्मा मय हमराह चौ.प्र. रोडवेज थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. संजय तिवारी मय हमराह चौ.प्र. एलवल थाना कोतवाली, आजमगढ़

## थाना- रानी की सराय

### 01 किग्रा 200 ग्राम गांजा के साथ गांजे की तस्करी करता हुआ शातिर अपराधी टाप टेन/हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चोर लूटेरे नकबजन एवं अवैध तस्करी गांजा एवं शराब से सम्बन्धित अपराध एव अपराधियों के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय रामायण सिंह के नेतृत्व में उ०नि० अरविन्द यादव मय हमराही फोर्स के ऊचीगोदाम से मेहनगर जाने वाले रास्ते काजी भीटी पुलिया से 100 मीटर आगे मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में अवैध गांजे की तस्करी करते हुए एक नफर अभियुक्त विजय यादव पुत्र कान्ता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० - 0172/20 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि जब से हमारे साथी इधर उधर हो गये और कुछ जेल चले गये हैं तब से मैं अकेला हो गया हूँ गाँव में गांजा बेचकर हम अपना जिविका चलाते हैं साहब गलती हो गयी है मुझे माफ कर दिया जाये।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

विजय यादव पुत्र कान्ता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

### बरामदगी-

गाँजा 01 किग्रा 200 ग्राम

### पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं०- 0172/2020 धारा 08/2020 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 88/18 धारा 392/504/411 भा०द०वि० थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़-
2. मु०अ०सं० 99/18 धारा 395/412 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 121/18 धारा 307 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 122/18 धारा 41/411 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 123/18 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
6. मु०अ०सं० 141/18 धारा 3(1) गैस्टर अधि० थाना रानी की सराय, आजमगढ़
7. मु०अ०सं० 04/19 धारा 504/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
8. मु०अ०सं० 0172/2020 धारा 08/2020 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि०अरविन्द कुमार यादव ,का० अजीत यादव,का० अमित वर्मा

## थाना मुबारकपुर

### मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.11.2020 को थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण 1. गौतम विश्वकर्मा पुत्र मुन्ना विस्वकर्मा निवासी नूरपुर सराय हाजी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. हरिराम पुत्र मुन्ना विश्वकर्मा निवासी नूरपुर सराय हाजी थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ आदि के विरुद्ध मु.अ.स. 238/20 धारा 147,148,323,324,336,504,506,308 भादवि पंजीकृत कराया गया है।

आज दिनांक 23.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मु.अ.स. 238/20 धारा 147,148,323,324,336,504,506,308 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. गौतम विश्वकर्मा पुत्र मुन्ना विस्वकर्मा निवासी नूरपुर सराय हाजी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. हरिराम पुत्र मुन्ना विश्वकर्मा निवासी नूरपुर सराय हाजी थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ को ग्राम नूरपुर सरायहाजी से समय 03.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 238/20 धारा 147,148,323,324,336,504,506,308 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. गौतम विश्वकर्मा पुत्र मुन्ना विस्वकर्मा निवासी नूरपुर सराय हाजी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हरिराम पुत्र मुन्ना विश्वकर्मा निवासी नूरपुर सराय हाजी थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़

### गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़
2. का. अवधेश कुमार थाना मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़
3. का0 जगभान थाना मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़।
4. का0 अनिल प्रसाद थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़

## थाना- गम्भीरपुर

### वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना स्थानीय के मु0अ0स 0 154/20 धारा 365/366 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को अभियुक्त द्वारा भगाने में सहयोग किया जाना।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 23.11.2020 को उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह का0 संजीव यादव के चौकी गोसाई की बाजार से खाना होकर देखभाल क्षेत्र व चेकिंग वाहन कस्बा गोसाई की बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0स0 154/20 धारा 365/366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त महताब अहमद पुत्र स्व0 अलीअहमद उर्फ घुरहू निवासी मईखरगपुर, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ अपने घर पर आया है मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त

महताब अहमद उपरोक्त को उसके घर से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 154/20 धारा 365/366 भादविथाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

महताब अहमद पुत्र स्व0 अलीअहमद उर्फ घुरहू निवासी मईखरगपुर, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

SI विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह का0 संजीव यादव